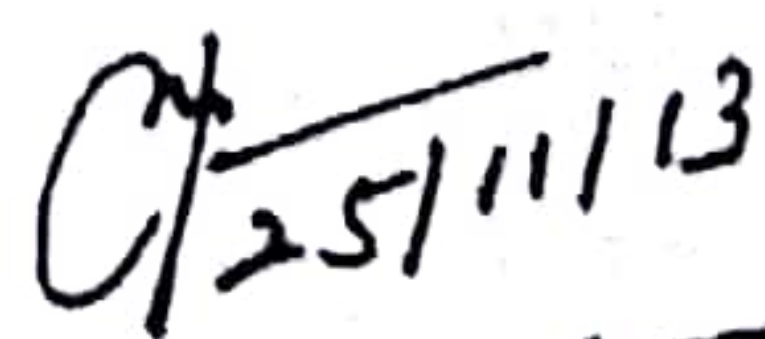


दिनांक ... 2.5.11.13

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

1. पक्ष को स्थल पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
2. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार पेड़ लगाना होगा।
3. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि० 04.10.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. शासनादेश सं०-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं०-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
5. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
6. भवन में ढोँचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
7. आपको किसी प्रकार का वाह्य लिवेज नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त कर करना होगा।
8. भविष्य में यदि स्वामित्व सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजसगर होता है जो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. कूड़ा संचयन हेतु उपर्युक्त स्थिति एवं स्थान सुनिश्चित करना होगा तथा निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।
10. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
11. शपथ पत्र दिनांक 10.01.13 का अनुपालन करना होगा।
12. शपथ पत्र दिनांक:-14.5.13 का भी अनुपालन करना होगा।


 25/11/13
 नगर अभियन्ता (भवन)
 विकास प्राधिकरण, वाराणसी।